खान आयुक्त का न्यायालय, बिहार

अपील वाद संख्या–14 / 2025

जिला–बाँका

महालक्ष्मी इंजीकॉम प्रा0 लि0 ... **वादकर्ता**

बनाम

समाहर्त्ता, बाँका एवं अन्य ... **प्रतिपक्ष**

आदेश

20.01.2026 A. यह वाद मेसर्स महालक्ष्मी इंजीकॉन प्रा0 लि0 (मनोज कुमार क्रांति) द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय के CWJC No.-17906/2024 में दिनांक–16.07.2025 एवं MJC No.-1105/2025 में दिनांक–04.07.2025 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है।

B. (1) मामले की पृष्ठभूमि यह है कि बाँका जिलान्तर्गत अंचल–शम्भूगंज, मौजा–पहरी, थाना संख्या–43, प्लॉट संख्या–163 (अंश) रकवा–22 एकड़ क्षेत्र पर धारित पत्थर खनन पट्टा की बंदोबस्ती के लिए दिनांक–07.05.2015 को सम्पन्न नीलामी में मेसर्स महालक्ष्मी इंजीकॉन प्रा0 लि0 उच्चतम डाकवक्ता हुए एवं समाहरणालय, बाँका के पत्रांक–586, दिनांक–14.08.2015 को सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश निर्गत किया गया।

(2) उच्चतम डाकवक्ता द्वारा दिनांक–25.02.2017 को पाँच वर्षों की बंदोबस्ती हेतु एकरारनामा कराया गया।

(3) बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली, 1972 के नियम–21(3)(f) के आलोक में धर्मकाँटा नहीं लगाने के कारण समाहरणालय, बाँका के पत्रांक–1128, दिनांक–15.09.2017 द्वारा पट्टेधारी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

(4) जिला खनन कार्यालय, बाँका के पत्रांक–1424, दिनांक–08.01.2018 एवं पत्रांक–427, दिनांक–15.03.2018 द्वारा द्वितीय किस्त का माँग पत्र निर्गत किया गया।

(5) पट्टेधारी द्वारा दिनांक–30.07.2018 को द्वितीय किस्त की राशि जमा करने हेतु अवधि विस्तार हेतु लिखित आवेदन दिया गया।

(6) पट्टेधारी द्वारा दिनांक–02.08.2018 को द्वितीय किस्त के बकाया राशि में से 20 लाख रूपये का बैंक ड्राफ्ट के साथ शेष बकाया राशि किस्त में

जमा करने हेतु शपथ पत्र जिला खनन कार्यालय, बाँका में समर्पित किया गया। समाहरणालय, बाँका के पत्रांक–1416, दिनांक–22.09.2018 द्वारा इस संबंध में विभागीय मार्गदर्शन की माँग की गई।

(7) जिला खनन कार्यालय, बाँका के पत्रांक–1509, दिनांक–11.10.2018 द्वारा थानाध्यक्ष शंभुगंज को पत्थर खनन पट्टा क्षेत्र में धर्मकाँटा स्थापित करने में अपेक्षित सहयोग देने का अनुरोध किया गया।

(8) खान एवं भूतत्व विभाग के पत्रांक–3900, दिनांक–03.10.2018 से बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली, 1972 के नियम–21(5), 24(3) एवं 52(5) के तहत कार्रवाई का मार्गदर्शन दिया गया।

(9) बंदोबस्तधारी को द्वितीय किस्त की शेष राशि एवं तृतीय किस्त की राशि जमा करने हेतु कार्यालय पत्रांक–228/एम0, दिनांक–05.02.2019, पत्रांक–505, दिनांक–08.03.2019 एवं पत्रांक–1406, दिनांक–30.10.2019 से माँग पत्र निर्गत किया गया, किन्तु राशि का भुगतान अप्राप्त रहा।

(10) पट्टेधारी ने दिनांक–30.03.2019 को आवेदन समर्पित किया गया कि कम्पनी को दिनांक–08.09.2017 से दिनांक–08.11.2017 तक ही परिवहन चालान उपलब्ध कराया गया। पट्टेधारी ने परिवहन चालान की कमी के कारण एवं स्थानीय लोगों के विरोध के कारण अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया।

(11) जिला खनन कार्यालय, बाँका के पत्रांक–624/एम0, दिनांक–30.05.2020 द्वारा बकाया राशि के भुगतान हेतु वैधानिक नोटिस निर्गत किया गया।

(12) पट्टेधारी ने दिनांक–19.06.2020 को आवेदन समर्पित किया गया, जिसमें दिनांक–30.03.2019 के आवेदन की बातों को दुहराते हुए जिस अवधि में चालान उपलब्ध नहीं कराया गया, उस अवधि को छोड़कर किस्त जमा करने का अनुरोध किया गया।

(13) जिला खनन कार्यालय, बाँका के पत्रांक–763, दिनांक–17.03.2021, पत्रांक–1458, दिनांक–07.10.2023, पत्रांक–590, दिनांक–04.06.2024 एवं पत्रांक–639, दिनांक–18.06.2024 द्वारा बंदोबस्तधारी को पुनः बकाया राशि जमा करने हेतु निदेश दिया गया, किन्तु राशि जमा नहीं की गई।

(14) समाहर्त्ता, बाँका के पत्रांक–1124, दिनांक–03.10.2024 से प्रतिभूति राशि जप्त करते हुए बकाया राशि की वसूली हेतु PDR Act, 1914 के तहत कार्यवाही का आदेश पारित किया एवं तत्पश्चात अधियाचना संख्या–01/2024–25 से नीलाम पत्र दायर किया गया।

(15) पट्टेधारी द्वारा समाहर्त्ता, बाँका के आदेश के विरूद्ध एवं अन्य माँगों के संदर्भ में माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC No.-17906/2024 दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक–16.01.2025 के आदेश से खान आयुक्त के समक्ष चार सप्ताह में अपील दायर करने का आदेश पारित किया।

(16) याचिकाकर्त्ता द्वारा निर्धारित अवधि में अपील दायर नहीं करने के कारण अवधि विस्तार हेतु MJC No.-1105/2025 दायर की गयी, जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक–04.07.2025 के आदेश से दो सप्ताह का समय प्रदान किया, जिसके आलोक में यह अपील दायर है।

C. उभयपक्ष के द्वारा समर्पित तथ्य/विधि के बिन्दु

1. अपीलकर्त्ता द्वारा समर्पित किया गया कि :–

(i) बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली, 1972 के नियम–21(5) के अनुसार माँग के 30 दिनों के अन्दर रॉयल्टी का भुगतान नहीं करने पर lease determination का प्रावधान है। वर्तमान मामले में दिनांक–14.12.2018 से ही रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया गया, इसलिए समाहर्त्ता को उसी समय पट्टा रद्द करने की कार्रवाई करनी चाहिए थी। किन्तु लीज की अवधि समाप्त होने के पश्चात बकाया वसूली की कार्यवाही प्रारंभ करना after thought है।

(ii) पट्टा संचालन में हो रही कठिनाई यथा चालान की चोरी, स्थानीय प्रतिरोध की सूचना दिया गया, किन्तु उसका समाधान न कर सम्पूर्ण राशि की माँग की जा रही है।

(iii) उन्हें चालान उपलब्ध नहीं कराने एवं स्थानीय आपत्ति के कारण खनन प्रारंभ नहीं हुआ।

(iv) 2019 की नियमावली के नियम–51(4) के अनुसार पट्टेधारी के excavated एवं removed मात्रा के लिए ही रॉयल्टी देने के लिए देय है। प्रतिबंध के खनन बंद रहने के कारण रॉयल्टी देय नहीं है।

(v) चूँकि उन्होंने किसी प्रकार का खनन नहीं किया है, इसलिए समाहर्त्ता, बाँका द्वारा माँगी गयी राशि के भुगतान की देयता नहीं बनती है।

2. इस पर खनिज विकास पदाधिकारी, बाँका के माध्यम से प्राप्त प्रतिउत्तर एवं सुनवाई के क्रम में निम्न बिन्दु समर्पित किए गए :–

(i) बंदोबस्तधारी को दिनांक–29.07.2017 को परिवहन चालान हस्तगत कराया गया, किन्तु उनके द्वारा कभी मासिक रिटर्न विवरणी जिला

खनन कार्यालय, बाँका में नहीं उपलब्ध कराया गया, जबकि चोरी की प्राथमिकी दिनांक–23.08.2018 को दर्ज कराया गया है।

(ii) कार्यालय अभिलेख के अनुसार चालान की माँग के संबंध में कोई आवेदन कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया।

(iii) माह दिसम्बर, 2017 से ही लघु खनिज प्रेषण हेतु ई–चालान के माध्यम से प्रभावी कर दिया गया था, किन्तु बंदोबस्तधारी द्वारा बकाया किस्त भुगतान में कोई अभिरूची नहीं ली गयी।

(iv) गवर्नमेंट प्लीडर, बाँका से प्राप्त मंतव्य के आलोक में बिहारी लघु खनिज समानुदान नियमावली, 1972 के नियम–21(5) के तहत प्रतिभूति राशि जब्त कर बकाया वसूली हेतु नियमानुसार आदेश पारित है।

D. Issue for determination

1. क्या निर्धारित समय पर किस्त भुगतान करने के कारण नियम 52(5) के तहत दो माह पश्चात सक्षम प्राधिकार पट्टा द्वारा रद्द नहीं करने के कारण बाद में वसूली की कार्रवाई नियम संगत है ?

2. क्या बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–51(4) के तहत लोक नीलामी से स्वीकृत खनन पट्टों में excavated एवं removed मात्रा के लिए ही रॉयल्टी की देयता बनती है ?

3. क्या चालान की माँग नहीं करने अथवा उपलब्ध नहीं कराने के कारण नीलामी राशि में छूट दी जा सकती है ?

E. विवेचना

1. (i) अपीलकर्त्ता के पक्ष में प्रश्नगत पत्थर खनन पट्टा बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली, 1972 के तहत नीलामी के माध्यम से स्वीकृत किया गया था। जिसके नियम–25(2) के अनुसार पट्टा की अवधि एकरारनामा/लीज डीड निष्पादन से पाँच वर्ष के लिए थी।

(ii) नियम–52(4) के तहत नीलामी राशि का भुगतान वार्षिक समान किस्तों में 13वीं जनवरी से पूर्व करना अनिवार्य था। अपीलकर्त्ता के पक्ष में निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश में भी प्रथम किस्त लीज डीड निष्पादन से पूर्व अन्य किस्तों का भुगतान अगले पंचांग वर्ष में 31 जनवरी के पूर्व करना था। इस प्रकार बंदोबस्ती राशि का भुगतान निम्न प्रकार निर्धारित था :–

द्वितीय किस्त	31 जनवरी, 2018 के पूर्व
तृतीय किस्त	31 जनवरी, 2019 के पूर्व

चतुर्थ किस्त	31 जनवरी, 2020 के पूर्व
पंचम किस्त	31 जनवरी, 2021 के पूर्व

(iii) इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता को भुगतान की देयता के प्रावधान की जानकारी निविदा में भाग लेने से एवं एकरारनामा कराने से पूर्व से ही थी, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। स्वयं एकरारनामा की शर्त्तों का उल्लंघन करने के पश्चात भुगतान की निर्धारित तिथि के दो महीने बाद ही पट्टा रद्द नहीं करने का उल्लेख कर भुगतान नहीं करने का दावा मान्य योग्य नहीं है, क्योंकि पट्टा रद्द होने की स्थिति में भी अपीलकर्त्ता की सम्पूर्ण राशि की देयता बनती थी।

अतएव समाहर्त्ता द्वारा बकाया राशि की वसूली की कार्रवाई नियम संगत है।

2. (i) बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–51 के तहत अनुसूची–III 'क' के अनुसार रॉयल्टी के भुगतान का प्रावधान है। अनुसूची–III 'क' के क्रमांक–I 'ख' के अनुसार नीलामी की राशि से बंदोबस्त पत्थर के लिए नीलामी की दशा में नीलामी की राशि ही रॉयल्टी की राशि होगी।

(ii) बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावी, 1972 के नियम–26 के साथ सह पठित अनुसूची–II में भी समरूप प्रावधान था।

(iii) स्पष्ट है कि excavated एवं removed mineral के आधार पर नीलामी राशि के भुगतान में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार बिन्दु 2 उत्तरित हो जाता है।

3. (i) अपीलार्थी द्वारा पट्टा संचालन में हो रही कठिनाई, चालान की चोरी, स्थानीय प्रतिरोध के आधार पर छूट का दावा किया गया। अपीलकर्त्ता के पक्ष में निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश की कंडिका (7) सामान्य शर्त्ते की उपकंडिका–I में निम्न प्रावधान है :–

"खनिजों की अनुपलब्धता अथवा खनिजों के परिवहन में होने वाले रूकावट के कारण अथवा किन्हीं अन्य कारणों से खनिज के उत्खनन/प्रेषण में बाधा उत्पन्न होने पर राज्य सरकार से क्षतिपूर्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा।"

(ii) अपीलकर्त्ता द्वारा प्रथम बार चालान प्राप्त करने के उपरांत पुनः चालान हेतु कभी आवेदन जिला खनन कार्यालय में नहीं दिया गया। चालान चोरी की प्राथमिकी भी दिनांक–23.08.2018 की दर्ज कराई गई है। चूँकि माह दिसम्बर, 2017 से ही ई–चालान पद्धति के माध्यम से ही खनिज प्रेषण की

सुविधा लागू हो चुकी थी। इसलिए मैनुअल परिवहन चालान की आवश्यकता नहीं रहने के कारण ही आवेदन अपीलकर्त्ता द्वारा नहीं दिया गया होगा।

(iii) अपीलकर्त्ता पट्टावधि में खनन के लिए पूर्णतः स्वतंत्र थे। उनके द्वारा खनन पर प्रतिबंध का कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा भी इस तरह के किसी प्रतिबंध की कोई बात नहीं कही है। अतः अपीलकर्त्ता का दावा मान्य योग्य नहीं है।

अतः अपील में कोई मेरिट नहीं पाते हुए इसे खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/–
(दिवेश सेहरा)
खान आयुक्त, बिहार

ह0/–
(दिवेश सेहरा)
खान आयुक्त, बिहार

ज्ञापांक :– 576 /एम0, दिनांकः– 21/01/26

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, बाँका/ खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, बाँका/ महालक्ष्मी इंजीकॉन प्रा0 लि0, निदेशक–श्री मनोज कुमार क्रांति, पिता–स्व0 सिकन्दर यादव, ग्राम+पो0+थाना–रजौन, जिला–बाँका, ईमेल– avinashshekhar05@gmail.com/आई0 टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.1.26
विधि पदाधिकारी